Impact Factor (SJIF): 4.714 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 08/January/2023 **IJRAW:** 2023; 2(2):82-83 **Accepted:** 19/February/2023

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का अध्ययन

[*1]Dr. Sunil Samag

[*1]Assistant Professor & Head, Department of Sociology, Sant Ramdas College, Ghansawangi, Jalna, Maharashtra, India.

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन नागरिकों के जीवन स्तर की रूपरेखा में उपयोगी माने जाने वाले मानवाधिकारों की व्याख्या करता है। इस अध्ययन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा एवं भारतीय मानव अधिकारो की श्रृंखला को आधार मानकर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव के मूल अधिकारो एवं संबंधित उपबंधों के अध्ययन का प्रयास सम्मिलित है। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्येक मानव को चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, संस्कृति या समाज का हो सबको समाज में रहकर अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति करने का अधिकार होना अत्यन्त आवश्यक है।

शब्दकोष: मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन।

प्रस्तावना

किसी भी व्यक्ति या मानव के विकास में उसके व्यक्तित्व के विकास की गहरी छाप होती है अत समाज में रहकर ही मानव अपने व्यक्तित्व का विकास तभी कर सकता है जब उसे समाज के भीतर कुछ अधिकार प्राप्त हों, ये अधिकार ही मानव अधिकारो के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मूल तत्वों के मध्य संतुलन को स्थापित करने में अनेक सामाजिक इकाईयों के अंतर्गत मानव अधिकार संस्थाएँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। सर्वविदित है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार माने गए हैं जो प्रत्येक मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर भिन्न ही क्यों न हो। भारतीय परिदृश्य में मानव अधिकारो के रक्षण की विश्व के सबसे बड़े तथा स्थायी माने जाने वाले भारतीय गणतंत्र के संविधान में विशेष व्यवस्था की गयी है। जिसका उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 (घ) में की गयी है। मानव अधिकार मानव की गरिमामयी जीवन शैली एवं धारणा के मध्य एक घनिष्ठ संबंध के निर्माण में सहयोगी माने जाते हैं अर्थात् इन्ही अधिकारों से समाज में निर्भीकता, समानता एवं गरिमा के वातावरण का निर्माण संभव है। जन्म के दौरान ही ये मानव अधिकार प्रत्येक मानव के लिए निश्चित अधिकारों की घोषणा करते हैं।

अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का अध्ययन करना है।

अध्ययन विधि

अध्ययन विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को आधार बनाया गया है। इसमें मुख्य रूप से विश्लेषण विधि का प्रयोग हुआ है।

मानव अधिकारों की पृष्ठभूमि

मानव अधिकारो की पृष्ठभूमि का आरंभ 24 ब्जवइमत 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा प्रवृत्त हुआ। चार्टर की उद्देशिका में घोषणा की गयी कि,

हम संयुक्त राष्ट्र के लोग.....

मूल मानव अधिकारो के प्रति, मानव की गरिमा और महत्व के प्रति, पुरुषो एवं स्त्रियों के.....

समान अधिकारों के प्रति निष्टा को अभिपुष्ट करने के लिए.....

यह संकल्प करते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिस समय मानव अधिकारो की घोषणा हो रही थी (1948 में) लगभग इसी समय भारतीय संविधान की रचना का कार्य भी प्रगति कर रहा था अत भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारो को स्थान दिया गया। भाग 3 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 1949 में भारतीय गणराज्य द्वारा जिस रूप में संविधान को स्वीकार किया जा रहा था उसमें निहित मूल अधिकार अंतराष्ट्रीय मानव अधिकारो की सार्वभौम घोषणा में निहित मानव अधिकारो के समान ही थे । कुछ अधिकारो को सामान्य संशोधनों द्वारा प्रदत्त किया गया।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों का अध्ययन

1. आर्थिक अधिकार

समाज में जीवन यापन हेतु प्रत्येक मानव हेतु कुछ मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) को अनिवार्य माना गया

***Corresponding Author:** Dr. Sunil Samag

है, ये अनिवार्य आवश्यक्ताएँ ही आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत मानव अधिकारों की राक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 5 किसी भी मानव को व्यवसाय चुनने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 7 कार्य हेतु न्याय संगत एवं अनुकूल स्थिति का अधिकार तथा अनुच्छेद 8 कार्य से संबधित श्रम संगठन में भाग लेने या हिस्सा बनने से जुड़े अधिकार व्यक्तियों को प्रदान करता है।

2. सामाजिक अधिकार

सामाजिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सभी व्यक्तियों को सामाजिक ढांचे में सक्रिय रहने पर समाज द्वारा प्रदत्त किये जाते हैं। इन्हे श्नागरिक अधिकारोश की संज्ञा भी जाती है। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966) में निम्न सामाजिक अधिकारों की घोषणा की गयी है–

- **अनुच्छेद 9:** (सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।)
- **अनुच्छेद 11:** (जीवन हेतु पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था का अधिकार)
- **अनुच्छेद 12:** (मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का अधिकार)
- **अनुच्छेद 13:** (बेहतर शिक्षा का अधिकार)

3. सांस्कृतिक अधिकार

सांस्कृतिक अधिकार सांस्कृतिक जीवन से संबधित हकों की बात करता है। चूंकि मानव भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से होने के कारण भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने भीतर समेटे हुए है अत इन सभी विशेषताओं से संबंधित अधिकारो की रक्षा में सांस्कृतिक अधिकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. राजनीतिक अधिकार

ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी प्रदान करने हेतु दिये जाने अधिकार हैं। इन अधिकारो के केंद्र में केवल राज्य एवं संबधित व्यक्ति ही होते हैं अत राज्य द्वारा ही इन्हे अपने नागरिको को दिया जा सकता है। अनुच्छेद 22 किसी भी संघ या पार्टी बनाने के अधिकार की सुरक्षा करता है, अनुच्छेद 21 शांति पूर्वक सम्मेलन आयोजन करने एवं अनुच्छेद 25 निर्वाचित होने के अधिकारों की स्पष्ट व्यवस्था करता है।

5. नागरिक अधिकार

नागरिक अधिकारो के अंतर्गत उन सभी अधिकारो को शामिल किया गया है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के समस्त अधिकारों की व्याख्या करता है इन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966) में निम्न प्रकार से दर्ज किया गया है।

- **अनुच्छेद 6:** प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 7:** अत्याचारध्जुल्म के विरुद्ध अधिकार
- **अनुच्छेद 8:** दासताध्गुलामी के विरुद्ध अधिकार
- **अनुच्छेद 9:** स्वतंत्रता का अधिकार
- **अनुच्छेद 14:** न्यायालयों के समक्ष समानता का अधिकार
- **अनुच्छेद 18:** विचार व अंतरू करण की स्वतंत्रता का अधिकार

भारत में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु हुए कुछ न्यायिक निर्णयो के उदाहरण जिनके द्वारा मानव अधिकारो के अर्थ को प्रभावी रूप दिया गया।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन न्यायिक विवाद में न्यायालय ने एकांत निरोध को सिविल प्रसंविदा के प्रति निर्देश देते हुए अमानवीय करार दिया।

नीलमती बोहरा बनाम उडीसा राज्य में न्यायालय द्वारा अधिकार से विधि विरुद्ध वंचित किये जाने पर प्रतिकर पाने के अधिकार को मान्यता दी।

नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जब बंधित श्रमिक मुक्त किये जाते हैं तो राज्य का यह कर्तव्य है कि उनका समुचित पुनर्वास किया जाए।

जलसे कर्जन बनाम गुजरात राज्य जब किसी बांध हेतू भूमि का अर्जन किया जाता है तो राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि बदले में भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित करे।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन इस बात की समीक्षा करता है कि मानव कल्याण की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर मानव अधिकरों के हित में आवाजें उठती रही है। सभी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो इस दिशा में विश्व के सभी राष्ट्र इस दिशा में कार्यशील रहे हैं। मानव अधिकार प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एवं समानता के साथ विकास करने हेतु प्रदात्त किये गए महत्वपूर्ण अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समाजिकता के गुणों का विकास करते हैं। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में घटित अनेकों ऐसी घटनाएँ भी देखने को मिली हैं जिन्होंने मानव अधिकारो की कल्पना के पंखो को काटने का भी कार्य किया है।इन घटनाओ में अफगानिस्तान जैसे लोकतंत्र वाले राष्ट्र में तालिबानी आतंकियों द्वारा राष्ट्रीय सत्ता का अधिग्रहण करना हो, या बहुत शक्तिशाली माने जाने वाले देश रूस द्वारा युक्रेन जैसे देश पर युद्ध थोप देना आदि घटनाओं में मानव अधिकारों की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई। अत विश्व बिरादरी को मानव अधिकारों की दिशा में ठोस कार्य नीति बनाने एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. बृजकिशोर शर्मा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और भारत की विधि, Prentice-Hall Of India Pvt. Limited, ISBN:9788120340442, 8120340442
2. रणधीर सिंह, मानव अधिकार रू एक परिचय, संकल्प प्रकाशन, 2021.
3. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1978, S. C 1675
4. नीलमती बोहरा बनाम उडीसा राज्य, AIR, 1993, S. C 1960
5. नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1984, 3 S. C. C 243
6. जलसे कर्जन बनाम गुजरात राज्य, 1986, SP S.C.C 356